Order Sheet

Case No BA / BO 1 1X4 3

Date of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of presiding

Signature of Parties or Pleaders where necessary

17/2/5

आवेदक/आरोपी रापान किया । असे राज्य की आरे से श्री राज्य की अध्यक्त की असे की राज्य की अधिवक्ता ने एक जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 438/439 जा०फो० का पेश किया ।

नकल संबंधित थाना प्रभारी की ओर भेजकर केश डायरी मय

प्रतिवेदन बुलाया जाये / संबंधित अभिलेख बुलाया जावे ।

आवेदन विविध आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे । प्रकरण केश डायरी प्रतिवेदन/अभिलेख प्राप्ति/तर्क हेतु दिनांक

20 2 1) को पेश हो ।

पी भी अप विश्वेष न्यायाधीक जिल्ला

20/02/2017

2:30

To

2.45 P.M

राज्य द्वारा श्री भगवानसिंह अपर लोक अभियोजक। प्रकरण आरोपी/आवेदक राघवेन्द्रसिंह गुर्जर द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उप०।

पुलिस थाना गोहद से अपराध कमांक—163/2014 की कैफियत प्राप्त।

मूल प्रकरण कमांक-15/2016 पेश । प्रकरण आरोपी/आवेदक राघवेन्द्रसिंह गुर्जर के जमानत आवेदनपत्र पर तर्क हेतु नियत है।

पुलिस थाना गोहद के अपराध कमांक-163/2014 धारा-392 भादवि. तथा धारा-11, 13 डकैती अधिनियम के अपराध में आरोपी/आवेदक राधवेन्द्रसिंह गुर्जर की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक अधिवक्ता ने आरोपी/आवेदक राघवेन्द्रसिंह गुर्जर का प्रथम जमानत आवेदनपत्र होना बताते हुए जमानत

> विश्वेष न्यायाधीश (स्केती भेट जिला– मिण्ड (मण

पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया समर्थन में शिशुपालसिंह का शपथपत्र पेश किए आरोपी/आवेदक राघवेन्द्रसिंह गुर्जर के प्रथम जमानत आवेदनपत्र मानते हुए उसका निराकरण किया जा रहा है ।

आरोपी / आवेदक राघवेन्द्रसिंह गुर्जर का कहना है कि पुलिस ने उसके विरोधियों से मिलकर गलत रूप से आरोपी बना लिया है, उसके अधिक समय तक जेल में रहने से उसका जीवन बरवाद हो जायेगा । वह जेल में बंद है, आवेदक कृषि पेशी व्यक्ति है, उसके अधिक समय से रहने से उसका परिवार भूखा मर जायेगा । एवं सहअभियुक्त सीटा उर्फ सीटू की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा एम.सी.आर.सी. नंबर-14884 / 2016 के माध्यम से स्वीकार की जा चुकी है, एवं सहअभियुक्त मुनेन्द्र की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा एम.सी.आर.सी. नंबर-11773 / 2016 के माध्यम से स्वीकार की जा चुकी है, उसका मामला उनसे भिन्न नहीं है, समानता रखता है, वह जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा, साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा, उसे उचित प्रतिभूति पर छोडने का निवेदन किया।

जबिक ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदक राघवेन्द्रसिंह गुर्जर द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है, उनका मामला जमानत पर रिहा आरोपी सीटू उर्फ सीटा एवं राजेश से भिन्न है। मामला डकैती अधिनियम से संबंधित होकर गंभीर प्रकृति का है, आरोपी/आवेदक राघवेन्द्रसिंह गुर्जर को जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्य को प्रभावित करेगा, अतः उसका जमानत आवेदनपत्र का घोर विरोध करते हुए निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया ।

मूल प्रकरण के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि दिनांक-18/05/2014 के शाम करीब 07:30-08:00 बजे पिपरसाना मौजा आम रोड दो खम्भा के पास चितौरा पिपरसाना के बीच अंतर्गत थाना गोहद जिला भिण्ड में फरियादी नरेन्द्र अपनी मोटरसाइकिल नंबर-एम.पी.-30 एम. जी.-9230 से भिण्डी की सब्जी लेकर गोहद जा रहा था, तभी आरोपीगण ने उसकी मोटरसाइकिल रोकी, जब फरियादी ने अपनी मोटरसाइकिल रोककर भागने लगा तभी एक आरोपी ने कटटे से हवाई फायर किया जिससे फरियादी नरेन्द्र खड़ा हो गया, और आरोपीगण ने फरियादी का सैमसंग कंपनी का

विश्वेष न्यायाधीश्र (डकेंती गोहव जिला- भिण्ड (म प

11-156 C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. P.A. 80. Jor 20 17 8 mg

Signature of Parties or Pleaders where

necessary

Date of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer काले रंग का मोबाइल जिसमें सिम नंबर—9009603277 थी, एक सोने की अंगूठी लूटकर ले गये, चारों बदमार स्थानीय देहाती भाषा बोल रहे थे, और ककरारी के रहने वाले

स्थानीय देहाती भाषा बोल रहे थे, और ककरारी के रहने वाले बताये थे। उक्त आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी ने थाना गोहद पर लिखायी थी। जिसपर से थाना के अप.क —163/2014 धारा 392 भा.द.वि. एवं तथा धारा 11/13 एम पी.डी.पी.के. एक्ट के अपराध के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में सहअभियुक्त सीटू उर्फ सीटा को माननीय उच्च न्यायालय के विविध आप. प्र.च. —14884/2016 के माध्यम से आरोपी को जमानत की सुविधा प्रदान की गयी है । एवं सहअभियुक्त मुनेन्द्र को माननीय उच्च न्यायालय के विविध आप. प्र.क.—11773/2016 के माध्यम से आरोपी को जमानत की सुविधा प्रदान की गयी है।

अभियोजन कथानक मुताबिक जो घटना बतायी गयी है उससे आरोपी/आवेदक राघवेन्द्रसिंह गुर्जर एवं माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर रिहा आरोपीगण सीटा उर्फ सीटू एवं आरोपी मुनेन्द्र का कृत्य भिन्न प्रतीत नहीं होता है, समानता रखता है। आरोपी/आवेदक राघवेन्द्रसिंह गुर्जर वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। न्यायालय में अभियोगपत्र पेश हो चुका है, प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त आरोपी/आवेदक राघवेन्द्रसिंह गुर्जर को समानता के सिद्धांत के अंतर्गत जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

बाद विचार आरोपी/आवेदक राघवेन्द्रसिंह गुर्जर का जमानत आवेदनपत्र गुण दोषों पर टीका टिप्पणी किए बिना स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आरोपी/आवेदक राघवेन्द्रसिंह गुर्जर की ओर से 50-50 हजार रूपये की दो सक्षम जमानतें एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र धारा-437 (3) जा.फौ. में उपबंधित शर्तों सहित प्रस्तुत हो तो उसे जमानत पर छोड़ा जावे । आरोपी प्रत्येक 15 दिवस में न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

आदेश की प्रति मूल प्रकरण में संलग्न की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिलू रिकॉर्ड हो।

> (पी.सी) आये)' विशेष न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड जिला भिण्ड